

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०(यू०पी०आर०एन०एस०एस०लि०),
राजकीय निर्माण एजेन्सी
जी-४/५, सेक्टर-४, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-२२६०१०
फोन नं० ०५२२-२३९०१५०, ०५२२-२३९०१५१

भवन सामग्रियों की आपूर्ति तथा श्रमिक कार्यों हेतु
पी०आर०डब्लू०, आपूर्तिकर्ताओं एवं विशिष्ट कार्यों के पंजीकरण हेतु सूचना

नोटिस सं० ^{ली० १२७} /सिविल/पंजी/टी

दिनांक ५-१२-१८

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० में विभिन्न मदों/भवन सामग्रियों की आपूर्ति तथा श्रमिक कार्यों हेतु पी०आर०डब्लू०ओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के पंजीकरण/सूचीबद्ध करने हेतु दिनांक २०.१२.२०१८ तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप संस्था की वेबसाइट www.uprns.org पर उपलब्ध है।



(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता

नोटिस सं० /सिविल/पंजी/टी

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०आर०एन०एस०एस०, लखनऊ।
2. समस्त प्रखण्ड प्रभारी, यू०पी०आर०एन०एस०एस० निर्माण प्रखण्ड को उस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, उ०प्र० ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी, यू०पी०आर०एन०एस०एस०, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर प्रदेश संस्करण में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, यू०पी०आर०एन०एस०एस०, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि संस्था की वेबसाइट पर अपलोड व समस्त निर्माण प्रखण्डों को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।


मुख्य अभियन्ता

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०
में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति/विशिष्ट कार्यों के
पंजीकरण/सूचीबद्धता हेतु आवेदन

यहां स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो चस्पा
करें।

- 1- श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है।
- 2- फर्म का नाम एवं पता
- 3- फर्म के स्वामी का नाम/स्थायी पता
- (पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड
- पत्र में से किसी एक की छायाप्रति पते के
- साक्ष्य के रूप में संलग्न करें)
- 4- वर्तमान पता
- 5- GSTIN (छायाप्रति संलग्न करें)
- 6- आयकर पैत्र कार्ड नम्बर तथा कर निर्धारण का
- साक्ष्य (संलग्न करें)
- 7- वारंट प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 8- हेतिसिद्ध प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
- 9- धराहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक
- द्वारा उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० के
- नाम से जारी किया गया हो एवं Payable at
- (मूलरूप में संलग्न करें)

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यों की विभिन्न श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है:-

1- SUPPLY ITEMS (CIVIL & Electrical Items)

Sl. No.	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Brick, Brick Bats, Brick Ballast etc.	'A'
2	Stone grit, Coarse Sand & Fine Sand etc.	'B'
3	Sanitary & Water Supply items ie Chinaware, C.P., C.I., G.I., PVC, CPVC, PPR, HDPE, Tiles (All type) & RCC hume pipe etc.	'C'
4	Marble, Granite, Kota & Other stone items, All type of Interior and Exterior paints, Primer, Wall putty, Polish, P.U., All Building related Hardware, Door Fittings, Miscellaneous Store Material, Glass pan & Mirror, Wood Work, Ply, Board, Veneer, Mica, Door Shutters Aluminum Item miscellaneous civil items etc.	'D'
5	Electrical Items including Conduit, wires cables, Poles fitting and Fixture etc.	'E'
6	All type of Fabrication Items.	'F'
7	Cement, Steel all type of sheets etc.	'G'
8	Supply of Earth.	'H'
9	Aluminum Door & Window , UPVC Door & Window, Structural Glazing work & False ceiling work Poly Carbonate sheeting.	'I'
10	Supply of Bitumin (Different Grade).	'J'

2- Specialized work

Sl. No.	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Water proofing work (Brick Cova)	'K'
2	Anti termite treatment work	'L'
3	Soil Testing.	'M'
4	Surveying work.	'N'
5	Fire Fighting System.	'O'
6	Over Head Tank.	'P'

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/कम्पनी के पंजीकरण/सूचीबद्ध किये जाने के नियम व शर्तः-

1. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। जिनकी अर्हतायें संलग्न सूची के अनुसार होगी।
2. सभी आपूर्तिकर्ता जो सूचीबद्धता हेतु उत्सुक हैं उन्हें GST और आयकर में पंजीकृत होना चाहिए, उन्हें आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साध्य (AY 15-16, AY 16-17, AY 17-18) में 02 Consecutive Year प्रस्तुत करने के साथ-साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा श्रेणी A से J हेतु अनुभव के रूप में विगत 03 वर्षों में रू0 10.00 लाख के भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति के कार्य को करने का अनुभव किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय निर्माण एजेन्सी के अन्तर्गत सफलतापूर्वक करने का प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
4. बाट-आउट सामग्रियों की दशा में उत्पादकों का अधिकृत डीलर/वितरक होना आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म/कम्पनी को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि "उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा"।
6. सूचीबद्धता के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिष्ठित उत्पादनकर्ता कम्पनी द्वारा सूचीबद्धता हेतु आवेदन किये जाने की दशा में चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
7. विभिन्न कटौगरी (A से P तक) में सूचीबद्ध किये जाने हेतु प्रति श्रेणी रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) एवं यदि एक ही आपूर्तिकर्ता/फर्म या कम्पनी एक से अधिक श्रेणी में पंजीयन करवाती है, तो 02 (दो) श्रेणी हेतु कुल रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) का तथा 02 से अधिक श्रेणी हेतु कुल रू0 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के नाम से जारी किया गया हो, जमा करना होगा।
8. **श्रेणी-J** विटुमिनस (Different Grade) की आपूर्ति हेतु वांछित प्रमाण पत्र/प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. (i) **श्रेणी-के-वाटर प्रूफ** कार्य (ब्रिक कोवा) हेतु पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं इससे पूर्व के चार वर्ष) में सरकारी विभागों/संस्था/निगमों में किसी भी तीन वर्ष में कुल रू0-10लाख के कार्य कराने का अनुभव होना आवश्यक है। इस आशय का प्रमाण पत्र परियोजना अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 अथवा अन्य सरकारी विभागों/निगमों का संलग्न करना आवश्यक है, जोकि कम से कम अधिशाली अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ है एवं उक्त कार्य का दस वर्षों का गारन्टी निर्धारित प्रारूप में रू0 100/- के स्टैम्प पेपर पर देना होगा।

